रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2018/ज्येष्ठ 30, 1940
No. 421] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2018/JYAISTHA 30, 1940

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

सा.का.नि. 576(अ).—केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना नियमावली, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनगणना (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जनगणना नियमावली, 1990 में नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"**11. जनगणना अनुसूची और अन्य संबंधित कागजपत्रों का निपटारा.—**अनुसूचियों और अन्य संबंधित कागज-पत्रों का पूर्णत: या भागत: निपटारा, जनगणना आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिए गए साधारण या विशेष निदेशों के अनुसरण में उक्त दस्तावेजों के इलैक्ट्रानिक रिकार्ड बनाने के पश्चात् जनगणना प्रचालक निदेशक के द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य के लिए 'इलैक्ट्रानिक रिकार्ड' का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (न) में समनुदेशित किया गया है।"।

[फा. सं. 9/43/2017-सीडी(सीईएन)]

शैलेश, भारत के महारजिस्ट्रार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 967(अ), तारीख 31 दिसंबर, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 589(अ), तारीख 19 जुलाई, 1994 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 458(अ), तारीख 3 जुलाई, 2009 द्वारा संशोधित गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of The Registrar General of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2018

G.S.R. 576(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 18 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Census Rules, 1990, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Census (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Census Rules, 1990, for rule 11, the following shall be substituted, namely:-

"11. Disposal of census schedule and other connected papers.—The schedules and other connected papers shall be disposed of totally or in part by the Director of Census Operations, after creating electronic record of such documents, in accordance with the general or special directions as may be given by the Census Commissioner in this behalf.

Explanation: For the purpose of this rule, 'electronic record' shall have the same meaning as assigned to it in clause(t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).".

[F. No. 9/43/2017-CD(CEN)]

SAILESH, Registrar General of India

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 967(E), dated the 31st December, 1990 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 589(E), dated the 19th July, 1994 and notification number G.S.R. 458(E), dated the 3rd July, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.22 17:58:16 +05'30'